रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 653] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1987/पौष 8, 1909
No. 653] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1987/PAUSA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 1126(अ) :—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (4) के अनुसरण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 81(अ) तारीख 8 फरवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में, क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ (1) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री एस. बी. शिरोलकर"।

[पी.-15014/2/87-पी.एच(एफ एण्ड एन)पी.एफ.ए.]

एस.वी. सुब्रामण्यन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th December, 1987

NOTIFICATION

S.O. 1126(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S. O. 81(E) dated 8th February, 1978, namely :—

In the said notification, in Table II, against serial number 3, in column (1), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri S. B. Shirolkar".

[P. 15014|2|87-PH(F&N)PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987